

//आदेश//

जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली चूला मोटर मार्ग हेतु 2.118 है० भूमि के बदले पूर्व में दोगनी भूमि 4.236 है० सिविल भूमि का वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली चूल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली हेतु 2.118 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के एवज में ग्राम चूला तहसील कर्णप्रयाग के नान जेड०ए० के खसरा नं०-38 बंजर भूमि मध्ये 0.472 एवं खसरा नं०-02 रौली मध्ये 1.882 है० कुल 2.354 है० एवं ग्राम गवनी तहसील थराली के नान जेड०ए० खसरा नं०-932 में 1.882 है० भूमि सिविल सोयन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 2173/XVII(II) 2012-18(120)/2010 दिनांक, 17 दिसम्बर, 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

YEAR..... (2015-16) 11-11-25
L.S. NO. XXVI-6
R.S. NO. 1139
DATE..... 6-11-2015/कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

mm
05/11/15
जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्या- 680/छब्बीस-6 (2015-2016) दिनांक, 6 नवम्बर, 2015.

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. उप जिलाधिकार, थराली/कर्णप्रयाग/तहसीलदार/थराली/कर्णप्राग।
6. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
7. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

mm
05/11/15
जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्या: 8032/छबीस-एम0बी0(2014-2015) दिनांक: गोपेश्वर 24, सितम्बर 2015
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

विषय- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली-चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.118 है0 वन भूमि का गैर वानिक कार्य हेतु लोनिवि0 लोनिवि0 कर्णप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 502/24सी दिनांक 31.08.2015 से अवगत कराया गया है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा बगोली-चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके क्रम में उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित 2.118 है0 सिविल भूमि के बदले पूर्व में दोगुनी भूमि 4.236 है0 प्रस्तावित की गई थी, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्तमान में दोगुनी भूमि 4.236 है0 का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जाना है, जिससे उनके द्वारा प्रस्तावित खसरा नम्बरों से 4.236 है0 सिविल सोयम भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड, लोनिवि0 कर्णप्रयाग का पत्र एवं उनके साथ प्राप्त शासन का पत्र दिनांक 22.05.2015 क्षतिपूर्ति व क्षारोपण स्वीकृति हेतु दोगुनी अजित सावल एवं सोयम भूमि से सम्बन्धित विवरण पत्र को आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

YEAR.....
DEPARTMENT.....
REGISTERED.....
DATE.....

(2014-15)
XXV-113
1238/24-9-2015

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, चमोली।

Scanned by CamScanner

20070218

11/11/2019

~~12/12/2011~~

अथवा अथवा,

Executive Engineer™

[illegible]

अथ यथा तं निरीक्षयाम

~~निष्कर्षार्थ~~

341071

1957

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों का विवरण जनपद चमोली।

संज्ञान का नाम	याचक विभाग का नाम	परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है 0	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या	दिनांक	वन भूमि के संपादन जाने वाली विहित सिविल योग्य भूमि का ग्रामवार विवरण	तहसील का नाम	वन विभाग के पद में हस्ताक्षरित हेतु क्षेत्रफल है 0 में	कुल योग	पट्टा	ग्राम रत्ना	विहित भूमि का खता नम्बर	सोम विवरण				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल
अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल
अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल	अग्नि से जल

Assistance Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
P.W.D. Karamnagar (Chamoli)
कर्मप्रधान

अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल
अग्नि से जल

अग्नि से जल

प्रेषक,

सेवा में,

तहसीलदार,
कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी
चमोली।

द्वारा :-

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।

विषय-

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली चूला मोटर मार्ग हेतु 4.236 है० भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

पत्रांक २१५/२०का०-भूमि (2015-16)

दिनांक: कर्णप्रयाग 23, अक्टूबर 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-8032/छब्बीस-एम०वी० (2014-15) दिनांक गोपेश्वर : 24, सितम्बर 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली चूला मोटर मार्ग हेतु 4.236 है० भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम चूला की नोन जेड०ए० के खसरा नम्बर 38, बंजर मध्ये 0.472 है० व खसरा नम्बर 02, रौली मध्ये 1.882 है० कुल 2.354 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसको भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त संधान्तिक स्वीकृति के अनुसार वन विभाग के नाम उक्त भूमि हस्तान्तरण हेतु निर्धारित 17 बिन्दुओं के प्रस्ताव पर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

तहसीलदार
कर्णप्रयाग।

तहसीलदार कर्णप्रयाग की आख्या
जिलाधिकारी महोदय चमोली की सेवा
में अग्रसारित।

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग।

Photo copy Attached

23/10/2015
जिलाधिकारी
चमोली